

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

बनाम शाफ़ि अहमद खान जरीये लक्ष्मी कानून भीलवाडा  
नं. 11-1-18 किस्म जा.प.क.

सं. 371 / 2017

14-1-17

बाद जॉच वाद/प्रार्थनापत्र/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज नुस्तर होकर विधिवत प्रकियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये वाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 16-1-18 पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

1-18 पत्रावली पेश हुई। दखील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी का कम्पन बांड  
नामिल प्राप्त हुआ। जिसे शाफ़िल पत्रावली दिया गया। विपक्षी का  
कम्पन कचरा के उपस्थित नहीं। विपक्षी को जितनी ही शर्तों सिद्धि का  
आवाज दिलाई जाके के उपरोक्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण  
विपक्षी के विरुद्ध एक वरदा कार्यवाही प्रारंभ जाके का आदेश दिया  
जाता है। दखील प्रार्थी ने एक वरदा कदम करने चाही। दखील  
प्रार्थी भी एक वरदा कदम करने चाही। दखील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र  
स्वीकार दिया गया। विरुद्ध निर्णय पुस्तक में लिखा जाके।  
शाफ़िल पत्रावली दिया गया। पालन हेतु तहसीलदार भीलवाडा,  
को लिखा जाके। पत्रावली प्रकाम शमान भी जाके कम्पन वास्ते  
है।

*[Handwritten signature]*  
P.R. *[Handwritten]*  
41

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा (राज.)